उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, लोहरदगा।

अधिसूचना

सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिशेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम Cigarettes and other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce Production, Supply and Distribution Act 2003 (COTPA-2003) को लोहरदगा जिला में प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु मुख्य सचिव, झारखण्ड की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक ज्ञापांक 156 दिनांक 06/07/2017 में लिए गए निर्णय के आलोक में उपायुक्त–सह–अध्यक्ष, लोहरदगा की अध्यक्षता में जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति District Tobacco Control Coordination Committee (DTCCC) का गठन इस कार्यालय के पत्रांक 74 (NCD) लोहरदगा, दिनांकः–4-8-18 द्वारा किया जाता है। निम्न पदाधिकारियों को जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति के सदस्यों के रूप में नामित किया जाता है।

1.	उपायुक्त–सह–अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, लोहरदगा	: अध्यक्ष
2.	पुलिस अधीक्षक, लोहरदगा	: सदस्य
3.	असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चि0 पदा0, लोहरदगा	: सदस्य सचिव
4.	अपर समाहर्त्ता–सह–विशेष नोडल पदा0,तंबाकू नियंत्रण लोहरदगा	:सदस्य–सह–मुख्य समन्वयक
5.	उप विकास आयुक्त	: सदस्य
6.	अनुमण्डल पदाधिकारी, लोहरदगा	: सदस्य
7.	जिला नोडल पदा0, तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम, लोहरदगा	:सदस्य–सह–समन्वयक
8.	कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद लोहरदगा	: सदस्य
9.	अपर मुख्य चिकित्सा पदा0, लोहरदगा	: सदस्य
10.	जिला शिक्षा पदाधिकारी, लोहरदगा	: सदस्य
11.	जिला जनसर्म्पक पदाधिकारी, लोहरदगा	: सदस्य
12.	जिला परिवहन पदाधिकारी, लोहरदगा	: सदस्य
13.	जिला खाद्य सुरक्षा पदा0 लोहरदगा	: सदस्य
14.	औषधि निरीक्षक, लोहरदगा	: सदस्य
15.	अध्यक्ष, आई0एम0ए0, लोहरदगा	: सदस्य
16.	सचिव, भारतीय रेडक्रॉस समिति, लोहरदगा	: सदस्य
17.	प्राचार्य, नदिया हिन्दु +2 उच्च विद्यालय, लोहरदगा	: सदस्य
18.	प्राचार्य, बी0 एस0 कॉलेज, लोहरदगा	: सदस्य
19.	प्रतिनिधि, सोसियो इकानोमिक एण्ड ऐजुकेशनल डेवलपमेंट सोसायटी (सीड्स)	: सदस्य

उक्त समिति तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम से संबंधित विभिन्न कार्यों का मूल्यांकन एवं अनुश्रवण करेगी जो निम्नलिखित हैंः–

- COTPA -2003 को पूरे लोहरदगा जिले में प्रभावी रूप से लागू करवाने, चालान (दण्ड) व्यवस्था भुारू करने तथा मुल्यांकन तथा अनुश्रवण में सहयोग करना।

- तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम से संबंधित कार्यों का प्रभावी रूप से क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हो ताकि केन्द्र सरकार के निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित हो पाये।
- लोहरदगा जिले/प्रखण्डों की अनुश्रवण/रहनुमाई समिति का गठन तथा उसकी बैठक नियमित रूप से त्रैमासिक अंतराल पर आयोजित किया जाना है।
- यह सुनिश्चित करना कि अधिकृत अधिकारी अपने कर्तव्यों का प्रभावी ढंग से अनुपालन कर रहें हैं तथा उनके द्वारा तम्बाकू नियंत्रण से संबंधित कितने मामले में फैसला लिया गया है।
- तंबाकू संबंधित मामले पर निर्णय लेना तथा प्रखण्ड स्तरीय समिति को सुझाव एवं मार्गदर्शन देना।
- भारतीय तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम की धारा 4,5,6 एवं 7 के उल्लंघन के विशिष्ट मामलों में कार्रवाई करना तथा राज्य/जिला स्तरीय समिति को सूचित करना।
- DTCCC की त्रैमासिक मनोनीत सदस्यों की बैठक सुनिश्चित करना।
- तम्बाकू और संबंद्ध उत्पादों के प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष@surrogate विज्ञापन के बारे में शिकायत दर्ज कराने हेतु आम जनता को अवसर प्रदान करना तथा प्रकिया के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करना।

4.8.18

उपायुक्त–~~सह~~–अध्यक्ष
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति,
लोहरदगा।

ज्ञापांक 74 (DLO) / लोहरदगा, दिनांक 4/8/18

प्रतिलिपि : सभी नामित सदस्यों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेशित

4.8.18

उपायुक्त–~~सह~~–अध्यक्ष
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति,
लोहरदगा।

ज्ञापांक 74 (DLO) / लोहरदगा, दिनांक 4/8/18

प्रतिलिपि : श्री दीपक मिश्रा, कार्यपालक निदेशक, सोसियो इकानोमिक एण्ड ऐजुकेशनल डेवलपमेंट सोसायटी (सीड्स) एवं श्री आशीष पांण्डे, तकनीकी सलाहकार दी युनियन नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि : राज्य नोडल पदाधिकारी, एन0सी0डी0 सेल, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अभियान निदेशक, राज्य स्वास्थ्य मिशन समिति, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, स्वा0चि0 एवं शि0 प0क0 विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

4.8.18

उपायुक्त–~~सह~~–अध्यक्ष
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति,
लोहरदगा।

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी कार्यालय, लोहरदगा।

आदेश

तम्बाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारण है। इससे मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति गंभीर बीमारियों से ग्रसित हो जाता है इसलिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम COTPA-2013 के विभिन्न धाराओं के अनुपालनार्थ जिला स्तरीय छापामार दस्ते का गठन किया जाता है। यह दस्ता सार्वजनिक स्थलों, सरकारी/गैर सरकारी कार्यालय परिक्षेत्र, शिक्षण संस्थानों, स्वास्थ्य संस्थानों एवं तम्बाकू उत्पाद विक्रय स्थलों की मॉनिटरिंग कर उल्लंघनकर्त्ता पर नियमानुसार चालान/जुर्माना(रूपये 200/–तक) की कार्यवाही सुनिश्चित करेगी।

जिला स्तरीय छापामार दस्ता में निम्नलिखित पदाधिकारी रहेंगेः–

1. अपर समाहर्त्ता सह विशेष नोडल पदाधिकारी, तम्बाकू नियंत्रण, लोहरदगा – अध्यक्ष
2. आरक्षी उपाधीक्षक (मुख्यालय), लोहरदगा – सदस्य
3. जिला परिवहन पदाधिकारी, लोहरदगा – सदस्य
4. अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, लोहरदगा – सदस्य
5. जिला आपूर्ति पदाधिकारी, लोहरदगा – सदस्य
6. औषधि निरीक्षण, लोहरदगा – सदस्य
7. जिला शिक्षा पदाधिकारी, लोहरदगा – सदस्य
8. जिला कार्यक्रम प्रबंधक(जिला स्वास्थ्य समिति) लोहरदगा – सदस्य
9. श्रम अधीक्षक, लोहरदगा – सदस्य
10. संबंधित थानाध्यक्ष, लोहरदगा – सदस्य
11. जिला नोडल पदाधिकारी (तम्बाकू नियंत्रण) लोहरदगा – समन्वयक

जिला नोडल पदाधिकारी तबाकू नियंत्रण इस छापामार दस्ते के साथ समन्वय स्थापित कर सप्ताह में कम से कम एक बार छापामारी की प्रक्रिया को क्रियान्वित करेंगे। साथ ही प्रत्येक महीने के प्रथम सप्ताह में इसका प्रगति प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

ह0/–
उपायुक्त–सह–अध्यक्ष
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय
समिति, लोहरदगा

ज्ञपांक.................................. लो0, दिनांक..

प्रतिलिपिः– उपरोक्त सभी पदाधिकारी/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, लोहरदगा/अनुमंडल पदाधिकारी, लोहरदगा/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, लोहरदगा/जिला नोडल पदाधिकारी, जिला तम्बाकू नियंत्रण पदाधिकारी, लोहरदगा/जिला परिवहन पदाधिकारी, लोहरदगा/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी आई0सी0डी0एस0/डी0आई0ओ, एन0आई0सी0/जिला शिक्षा पदाधिकारी/सिविल सर्जन/जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति लोहरदगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– पुलिस अधीक्षक, लोहरदगा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि अपने स्तर से जिले के सभी थानाध्यक्षें एवं पुलिस निरीक्षकों को इस आशय की सूचना देंगे।

प्रतिलिपिः– आयुक्त, दाक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल/पुलिस उप महानिरीक्षक, दाक्षिणी छोटानागपुर, रांची को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
उपायुक्त–सह–अध्यक्ष
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय
समिति, लोहरदगा

प्रतिलिपिः– राज्य नोडल पदाधिकारी, राज्य परामर्शी, एन0सी0डी0 सेल, झारख़ण्ड रांची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– अभियान निदेशक, राज्य स्वास्थ्य मिशन समिति, झारखण्ड रांची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव स्वस्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड रांची को सूचनार्थ प्रेषित।

उपायुक्त–सह–अध्यक्ष
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय
समिति, लोहरदगा

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, लोहरदगा।

आदेश

तम्बाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इससे मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति गम्भीर बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। इसलिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम **COTPA-2003** के विभिन्न धाराओं के अनुपालनार्थ **अनुमंडल स्तरीय छापामार दस्ते** का गठन किया जाता है। यह दस्ता सार्वजनिक स्थलों, सरकारी/गैर सरकारी कार्यालय परिक्षेत्र, शिक्षणसंस्थानों, स्वास्थ्य संस्थानों एवं तम्बाकू उत्पाद विक्रय स्थलों की मॉनिटरिंग कर **उल्लंघनकर्त्ता पर नियमानुसार चालान/जुर्माना (रूपये 200/– तक)** की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगी।

अनुमंडल स्तरीय छापामार दस्ता में निम्नलिखित पदाधिकारी रहेंगे :–

1. अनुमंडल पदाधिकारी , लोहरदगा – अध्यक्ष
2. अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, लोहरदगा – सदस्य
3. कार्यपालक दण्डाधिकारी, लोहरदगा – सदस्य
4. अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी, लोहरदगा – सदस्य
5. प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडल मुख्यालय – सदस्य
6. अनुमंडल शिक्षापदाधिकारी, लोहरदगा – सदस्य
7. संबंधित थानाध्यक्ष – सदस्य

संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी अपने अपने कार्यक्षेत्र में **उक्त छापामार दस्ते के द्वारा प्रत्येक सप्ताह में कम से कम एक बार छापामारी की प्रकिया को कियान्वित कराते हुए प्रत्येक महिने के प्रथम सप्ताह में इसका प्रगति प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को प्रतिवेदित करना सुनिश्चित करेंगे**। इस काम में अनुमंडल पदाधिकारी अनुमंडल स्तरीय अन्य पदाधिकारियों की भी सेवायें लें सकेंगे।

8.18

उपायुक्त–सह–अध्यक्ष
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति,
लोहरदगा।

ज्ञापांक 76 (DTO) / लोहरदगादिनांक 4/8/18

प्रतिलिपि : सभी नामित सदस्यों/सभी चिकित्सा पदाधिकारी प्रखंड स्वास्थ्य केन्द्र, जिला लोहरदगा /जिला यिक्षापदाधिकारी लोहरदगा/उपाधीक्षक सदर अस्पताल, लोहरदगा/जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, लोहरदगा/ सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, लोहरदगा जिला अर्न्तगत/सभी प्रखंड यिक्षाप्रसार पदाधिकारी, लोहरदगा/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, लोहरदगा/ सभी कार्यालय प्रधान, लोहरदगा जिला अर्न्तगत/श्रम

अधीक्षक, लोहरदगा/पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय), लोहरदगा/जिला नोडल पदाधिकारी, तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, लोहरदगा,/सभी अनुमंडल पदाधिकारी, लोहरदगा/ असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, लोहरदगा/उप–विकास आयुक्त, लोहरदगा/ पुलिस अधीक्षक, लोहरदगा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला जनसर्म्पक पदाधिकारी, लोहरदगा को निदेशित किया जाता हैं कि इस आदेश को जिला स्तर पर विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचार–प्रसार कराना सुनिश्चित करेंगें।

उपायुक्त–सह–अध्यक्ष
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति,
लोहरदगा।

ज्ञापांक 76(DLO) / लोहरदगा, दिनांक 4/8/18

प्रतिलिपि : श्री दीपक मिश्रा, कार्यपालक निदेशकसोसियो इकानोमिक एण्ड एजुकेश्नल डेवलपमेंट सोसायटी (सीड्स) एवं श्री आशीष पांण्डे, तकनीकी सलाहकार दी युनियन नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि : राज्य नोडल पदाधिकारी, एन0सी0डी0 सेल, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अभियान निदेशकराज्य स्वास्थ्य मिशन समिति, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, स्वा0चि0 एवं शि0 प0क0 विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

उपायुक्त–सह–अध्यक्ष
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति,
लोहरदगा।

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी कार्यालय, लोहरदगा।

आदेश

तम्बाकू स्वास्थ्य के लिंए हानिकारण है। इससे मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पडता है और व्यक्ति गंभीर बीमारियों से ग्रसित हो जाता है; इसलिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम COTPA-2013 के विभिन्न धाराओं के अनुपालनार्थ जिला स्तरीय छापामार दस्ते का गठन किया जाता है। यह दस्ता सार्वजनिक स्थलों, सरकारी/गैर सरकारी कार्यालय परिक्षेत्र, शिक्षण संस्थानों, स्वास्थ्य संस्थानों एवं तम्बाकू उत्पाद विक्रय स्थलों की मॉनिटरिंग कर उल्लंघनकर्त्ता पर नियमानुसार चालान/जुर्माना(रूपये 200/–तक) की कार्यवाही सुनिश्चित करेगी।

प्रखण्ड स्तरीय छापामार दस्ता में निम्नलिखित पदाधिकारी रहेंगेः–

1. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी – अध्यक्ष
2. प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी – समन्वयक सदस्य
3. प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी – सदस्य
4. प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी – सदस्य
5. श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी – सदस्य
6. प्रखण्ड स्वास्थ्य प्रबंधक – सदस्य
7. संबंधित थानाध्यक्ष – सदस्य

संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी अपने.अपने कार्यक्षेत्र में इस छापामार दस्ते के द्वारा प्रत्येक सप्ताह में कम से कम एक बार छापामारी की प्रक्रिया को क्रियान्वित करेंगे। साथ ही प्रत्येक महीने के प्रथम सप्ताह में इसका प्रगति प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। वे आवश्यकतानुसार अंचलाधिकारी/बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को भी अध्यक्ष के रूप में प्रतिनियुक्त कर सकेंगे, साथ ही उनके द्वारा प्रखण्ड स्तरीय अन्य पदाधिकारियों की भी सेवाएं ली जा सकती है।

ह0/–
उपायुक्त–सह–अध्यक्ष
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय
समिति, लोहरदगा

ज्ञपांक.................................. लो0, दिनांक..

प्रतिलिपिः– उपरोक्त सभी पदाधिकारी/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, लोहरदगा/अनुमंडल पदाधिकारी, लोहरदगा/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, लोहरदगा/जिला नोडल पदाधिकारी, जिला तम्बाकू नियंत्रण पदाधिकारी, लोहरदगा/जिला परिवहन पदाधिकारी, लोहरदगा/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी आई0सी0डी0एस0/डी0आई0ओ, एन0आई0सी0/जिला शिक्षा पदाधिकारी/सिविल सर्जन/जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति लोहरदगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– पुलिस अधीक्षक, लोहरदगा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि अपने स्तर से जिले के सभी थानाध्यक्षें एवं पुलिस निरीक्षकों को इस आशय की सूचना देंगे।

प्रतिलिपिः– आयुक्त, दाक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल/पुलिस उप महानिरीक्षक, दाक्षिणी छोटानागपुर, रांची को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
उपायुक्त–सह–अध्यक्ष
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्चय
समिति, लोहरदगा

प्रतिलिपिः— राज्य नोडल पदाधिकारी, राज्य परामर्थी, एन0सी0डी0 सेल, झारखण्ड रांची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः— अभियान निदेशक, राज्य स्वास्थ्य मिशन समिति, झारखण्ड रांची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः— अपर मुख्य सचिव स्वस्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड रांची को सूचनार्थ प्रेषित।

18/9/2015

उपायुक्त—सह—अध्यक्ष
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय
समिति, लोहरदगा

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, लोहरदगा।

आदेश

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत **अपर समाहर्ता लोहरदगा** को जिला तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम का **विशेष नोडल पदाधिकारी (तम्बाकू नियंत्रण)** नामित किया जाता है। जिले के सभी विभागों के पदाधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम का जिले में सफल संचालन कराना सुनिश्चित करेगें। साथ ही लोहरदगा जिले को धुम्रपान मुक्त जिला धोषित कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई करेगें।

यह आदेश तत्कालीक प्रभाव से लागू होगा।

4.8.18

उपायुक्त–सह–अध्यक्ष
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति,
लोहरदगा ।

ज्ञापांक 75 (DLO) / **लोहरदगा** **दिनांक** 4/8/18

प्रतिलिपि : सभी नामित सदस्यों/सभी चिकित्सा पदाधिकारी प्रखंड स्वास्थ्य केन्द्र, जिला लोहरदगा /जिला यिक्षापदाधिकारी लोहरदगा/उपाधीक्षक सदर अस्पताल, लोहरदगा/जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, लोहरदगा/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, लोहरदगा जिला अर्न्तगत/सभी प्रखंड यिक्षाप्रसार पदाधिकारी, लोहरदगा/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, लोहरदगा/ सभी कार्यालय प्रधान, लोहरदगा जिला अर्न्तगत/श्रम अधीक्षक, लोहरदगा/पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय), लोहरदगा/जिला नोडल पदाधिकारी, तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, लोहरदगा,/सभी अनुमंडल पदाधिकारी, लोहरदगा/ असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, लोहरदगा/उप–विकास आयुक्त, लोहरदगा/ पुलिस अधीक्षक, लोहरदगा को सूचनार्थ प्रेषित।

4.8.18

उपायुक्त–सह–अध्यक्ष
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति,
लोहरदगा।

ज्ञापांक 75 (DLO) / **लोहरदगा** **दिनांक** 4/8/18

प्रतिलिपि : श्री दीपक मिश्रा, कार्यपालक निदेशकसोसियो इकानोमिक एण्ड एजुकेश्नल डेवलपमेंट सोसायटी (सीड्स) एवं श्री आशीष पांण्डे, तकनीकी सलाहकार दी युनियन नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि : राज्य नोडल पदाधिकारी, एन0सी0डी0 सेल, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अभियान निदेशकराज्य स्वास्थ्य मिशन समिति, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, स्वा0चि0 एवं शि0 प0क0 विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

4.8.18

उपायुक्त–सह–अध्यक्ष
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति,
लोहरदगा।

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, लोहरदगा।

आदेश

सार्वजनिक स्थानों पर धुम्रपान करना अपराध है। उल्लेखनीय है कि धुम्रपान से मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति गम्भीर बीमारियों से ग्रसित हो जाता है इसलिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम COTPA-2003 के धारा (4) के अनुसार सभी सार्वजनिक स्थानों पर धुम्रपान करना निषेध है, लेकिन अभी भी आम जनता जानकारी और कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के अभाव में सार्वजनिक स्थानों पर धुम्रपान करते है।

जिले के सभी सार्वजनिक स्थलों यथा–बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, पुलिस स्टेशन, मनोरंजन केन्द्र, पुस्तकालय, शापिंग मॉल, कॉफी हाउस, न्यायालय परिसर, सभाकक्ष, प्रतिक्षालय, टी स्टॉल, मिष्ठान भंडार, ढाबा, सभी सरकारी / गैर सरकारी कार्यालय, सभी सरकारी / गैर सरकारी शैक्षिणिक संस्थान, सभी सरकारी / गैर सरकारी स्वास्थ केन्द्र / अस्पताल, सिनेमा हॉल, होटल / रेस्टोरेन्ट, पंचायत भवन, चौक एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर धुम्रपान प्रतिबंधित है। यदि सार्वजनिक स्थानों पर कोई व्यक्ति धुम्रपान करते पाया जाता है तो भारतीय तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम, 2003 की धारा 4 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है, अल्लंधनकर्त्ता को रूपये 200/–तक जुर्माना किया जाएगा। बोर्ड का प्रारूप निम्नांकित है :–

60cmx30cm

60cmx15cm

अतः चालान के द्वारा अधिकतम 200 रू0 तक दंड की व्यवस्था के सुचारू रूप से कार्यान्वयन के लिए सभी अधिकृत पदाधिकारियों को आदेश दिया जाता है कि अपने–अपने कार्य क्षेत्र में सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम COTPA-2003 के धारा (4) के तहत उल्लंधन करने वाले को 200 रू0 तक दंडित करना एवं सार्वजनिक स्थानों पर धुम्रपान निषेध का बोर्ड लगवाना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही प्रत्येक महिने के प्रथम सप्ताह में उक्त कार्यवाही का प्रगति प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को देना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी प्रकार की त्रुटि पाई गयी तो इसके लिए संबंधित अधिकारी उत्तरदायी रहेंगे।

यह आदेश तत्कालीक प्रभाव से लागू होगा।

4.8.18

उपायुक्त–सह–अध्यक्ष
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति,
लोहरदगा।

ज्ञापांक 77 (DLO) **/ लोहरदगा** **दिनांक** 4/8/18

प्रतिलिपि : सभी नामित सदस्यों/सभी चिकित्सा पदाधिकारी प्रखंड स्वास्थ्य केन्द्र, जिला लोहरदगा /जिला यिक्षापदाधिकारी लोहरदगा/उपाधीक्षक सदर अस्पताल, लोहरदगा/जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, लोहरदगा/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, लोहरदगा जिला अर्न्तगत/सभी प्रखंड यिक्षाप्रसार पदाधिकारी, लोहरदगा/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, लोहरदगा/ सभी कार्यालय प्रधान, लोहरदगा जिला अर्न्तगत/श्रम अधीक्षक, लोहरदगा/पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय), लोहरदगा/जिला नोडल पदाधिकारी, तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, लोहरदगा/सभी अनुमंडल पदाधिकारी, लोहरदगा/ असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, लोहरदगा/उप–विकास आयुक्त, लोहरदगा/ पुलिस अधीक्षक, लोहरदगा को सूचनार्थ प्रेषित।

4.8.18

उपायुक्त–सह–अध्यक्ष
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति,
लोहरदगा।

ज्ञापांक 77 (DLO) **/ लोहरदगा** **दिनांक** 4/8/18

प्रतिलिपि : श्री दीपक मिश्रा, कार्यपालक निदेशकसोसियो इकानोमिक एण्ड एजुकेश्नल डेवलपमेंट सोसायटी (सीड्स) एवं श्री आशीष पांण्डे, तकनीकी सलाहकार दी युनियन नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि : राज्य नोडल पदाधिकारी, एन0सी0डी0 सेल, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अभियान निदेशकराज्य स्वास्थ्य मिशन समिति, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, स्वा0चि0 एवं शि0 प0क0 विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

4.8.18

उपायुक्त–सह–अध्यक्ष
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति,
लोहरदगा।

<u>उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, लोहरदगा।</u>

<u>आदेश</u>

लोहरदगा जिला के कई स्थानों पर तंबाकू उत्पाद यथा सिगरेट, बीड़ी, पान मसाला, जर्दा एवं खैनी का प्रचार–प्रसार बैनर्स/पोस्टर्स/होर्डिंग्स/दिवाल लेखन इत्यादि के माध्यम से किया जा रहा है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003, के धारा 5(1) एवं 5(3) के अनुसार किसी भी तंबाकू पदार्थों के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष विज्ञापन पर पूर्ण प्रतिबन्ध है। अधिनियम की धारा 21 के अनुसार *"धारा 5 का उल्लंघन करनें पर दो वर्ष का कारावास/रूपये 1000/–(रूपये एक हजार) का आर्थिक दण्ड अथवा दोनों का प्रावधान है"*।

अतः सभी संबंधित एजेंसियों/संस्थाओं/दुकानदारों/व्यक्तियों को निदेश दिया जाता है कि किसी भी तंबाकू उत्पाद यथा सिगरेट, बीड़ी, पान मसाला, जर्दा एवं खैनी का बैनर्स/पोस्टर्स/होर्डिंग्स/दिवाल लेखन इत्यादि के माध्यम से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप में प्रचार–प्रसार करना बंद करें एवं लोहरदगा जिला में लगाये गये इस तरह के बैनर्स/पोस्टर्स/होर्डिंग्स/दिवाल लेखन इत्यादि को तत्काल प्रभाव से हटाये जायें अन्यथा विधि संवत कार्रवाई की जा सकती है।

यह आदेश तत्कालीक प्रभाव से लागू होगा।

उपायुक्त–सह–अध्यक्ष
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति,
लोहरदगा।

प्रतिलिपि : लोहरदगा जिला के सभी संबंधित एजेंसियों/संस्थाओं/तम्बाकू उत्पाद बेचनें वाले दूकानदारो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्याथ प्रेषित ।

प्रतिलिपि : ~~प्रशासक, लोहरदगा नगर निगम~~, लोहरदगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेशित।

ज्ञापांक 78 (D10) **/ लोहरदगा,** **दिनांक** 4/8/18

उपायुक्त–सह–अध्यक्ष
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति,
लोहरदगा।

ज्ञापांक 78 (D10) **/ लोहरदगादिनांक** 4/8/18

प्रतिलिपि : सभी नामित सदस्यों/सभी चिकित्सा पदाधिकारी प्रखंड स्वास्थ्य केन्द्र, जिला लोहरदगा/जिला यिक्षापदाधिकारी लोहरदगा/उपाधीक्षक सदर अस्पताल, लोहरदगा/जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, लोहरदगा/ सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, लोहरदगा जिला अर्न्तगत/सभी प्रखंड यिक्षाप्रसार पदाधिकारी, लोहरदगा/जिला

कार्यक्रम पदाधिकारी, लोहरदगा / सभी कार्यालय प्रधान, लोहरदगा जिला अन्तर्गत / श्रम अधीक्षक, लोहरदगा / पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय), लोहरदगा / जिला नोडल पदाधिकारी, तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, लोहरदगा, / सभी अनुमंडल पदाधिकारी, लोहरदगा / असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, लोहरदगा / उप–विकास आयुक्त, लोहरदगा / पुलिस अधीक्षक, लोहरदगा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला जनसर्म्पक पदाधिकारी, लोहरदगा को निदेशित किया जाता हैं कि इस आदेश को जिला स्तर पर विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचार–प्रसार कराना सुनिश्चित करेंगें।

.18

उपायुक्त–सह–अध्यक्ष
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति,
लोहरदगा।

ज्ञापांक 78(D.C.) / लोहरदगा दिनांक 4/8/18

प्रतिलिपि : श्री दीपक मिश्रा, कार्यपालक निदेशकसोसियो इकानोमिक एण्ड एजुकेश्नल डेवलपमेंट सोसायटी (सीड्स) एवं श्री आशीष पांण्डे, तकनीकी सलाहकार दी युनियन नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि : राज्य नोडल पदाधिकारी, एन0सी0डी0 सेल, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अभियान निदेशकराज्य स्वास्थ्य मिशन समिति, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, स्वा0चि0 एवं शि0 प0क0 विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

8.18

उपायुक्त–सह–अध्यक्ष
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति,
लोहरदगा।

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, लोहरदगा।

आदेश

धुम्रपान से मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति गम्भीर बीमारियों से ग्रसित हो जाता है इसलिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम COTPA-2003 के धारा 6 A के अनुसार सभी तम्बाकू उत्पाद बेचने वाले दूकानों पर यह बोर्ड लगाना अनिवार्य है इस अधिनियम के अर्न्तगत 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को तम्बाकू उत्पाद बेचना या उनके द्वारा तम्बाकू उत्पाद बेचना पूर्णतः प्रतिबंधित है फ्लैक्स बैनर का प्रारूप निम्न प्रकार से है :–

जिला के सभी तम्बाकू उत्पाद यथा– बिड़ी, सिगरेट, गुटखा, जर्दा एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानदारों एवं थोक विक्रताओं को निर्देशित किया जाता है कि अपने अपने दुकान पर यह बोर्ड लगाना सुनिश्चित करेगें। आदेश का अनुपालन नहीं होने पर दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है एवं चालान के द्वारा अधिकतम 200 रू0 तक दंड का प्रावधान है।

यह आदेश तत्कालीक प्रभाव से लागू होगा।

4.8.18

उपायुक्त–सह–अध्यक्ष
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति,
लोहरदगा।

ज्ञापांक 79 (DLO) / लोहरदगा दिनांक 4/8/18

प्रतिलिपि : सभी नामित सदस्यों / सभी चिकित्सा पदाधिकारी प्रखंड स्वास्थ्य केन्द्र, जिला लोहरदगा / जिला यिक्षापदाधिकारी लोहरदगा / उपाधीक्षक सदर अस्पताल, लोहरदगा / जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, लोहरदगा / सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, लोहरदगा जिला अर्न्तगत / सभी प्रखंड यिक्षाप्रसार पदाधिकारी, लोहरदगा / जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, लोहरदगा / सभी कार्यालय प्रधान, लोहरदगा जिला अर्न्तगत / श्रम अधीक्षक, लोहरदगा / पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय), लोहरदगा / जिला नोडल पदाधिकारी,

तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, लोहरदगा,/सभी अनुमंडल पदाधिकारी, लोहरदगा/ असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, लोहरदगा/उप–विकास आयुक्त, लोहरदगा/ पुलिस अधीक्षक, लोहरदगा को सूचनार्थ प्रेषित।

4.8.18

उपायुक्त–सह–अध्यक्ष
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति,
लोहरदगा।

ज्ञापांक 79 (DLCS) / लोहरदगा दिनांक 4/8/18

प्रतिलिपि : श्री दीपक मिश्रा, कार्यपालक निदेशकसोसियो इकानोमिक एण्ड एजुकेश्नल डेवलपमेंट सोसायटी (सीड्स) एवं श्री आशीश पांण्डे, तकनीकी सलाहकार दी युनियन नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि : राज्य नोडल पदाधिकारी, एन0सी0डी0 सेल, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अभियान निदेशकराज्य स्वास्थ्य मिशन समिति, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, स्वा0चि0 एवं शि0 प0क0 विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

4/8/18

उपायुक्त–सह–अध्यक्ष
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति,
लोहरदगा।

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, लोहरदगा।

आदेश

धुम्रपान से मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति गम्भीर बीमारियों से ग्रसित हो जाता है इसलिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम COTPA-2003 के धारा (6B) के अनुसार सभी शिक्षणसंस्थानों को तम्बाकू मुक्त बनाने के लिए शिक्षणसंस्थान के 100 गज के दायरे में किसी भी प्रकार के तम्बाकू उत्पाद को बेचने वालों पर प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही विद्यालय के मुख्य द्वार पर तम्बाकु के दुष्प्रभाव से संबंधित पोस्टर, बैनर, फ्लैक्स लगाने एवं दिवार लेखन का निदेश दिया जाता है। जिस का प्रारूप निम्न प्रकार से है :–

तम्बाकू मुक्त शिक्षण संस्थान

इस शिक्षण संस्थान के 100 गज के दायरे में किसी भी प्रकार के तम्बाकू उत्पाद बेचना कानूनी अपराध है, उल्लंघन करने वालों पर 200/–रूपये तक का जुर्माना हो सकता है।

आदेशानुसार

शिक्षण संस्थान के अधिकारी का नाम ....

शिक्षण संस्थान का नाम ....

जिला के सभी सरकारी/गैर सरकारी शिक्षणसंस्थानों के प्रधानाध्यापकों को निदेशित किया जाता है कि अपने–अपने शिक्षणसंस्थान में उपरोक्त प्रारूप का दिवार लेखन एवं **100 गज के दायरें में किसी भी प्रकार का तम्बाकु उत्पाद की बिकी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना सुनिश्चित करें।** आदेश का अनुपालन नहीं होने पर दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है एवं चालान के द्वारा अधिकतम 200 रू0 तक दंड का प्रावधान है। साथ में इसकी सूचना प्रत्येक महिने के प्रथम सप्ताह में जिला यिाक्षापदाधिकारी के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को देना सुनिश्चित करें।

जिला यिाक्षापदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि आम जन के बीच तम्बाकू के दूष्परिणामों के बारें में जागरूक करने के उद्देष्य से सभी सरकारी/गैर सरकारी विद्यालयों में तम्बाकु नियंत्रण पर

प्रभात–फेरी के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाना सुनिश्चित करें। साथ ही प्रत्येक महीने के समीक्षात्मक बैठक में इस तम्बाकू नियंत्रण के तहत की गयी कार्रवाई की समीक्षा करना सुनिश्चित करें।

यह आदेश तत्कालीक प्रभाव से लागू होगा।

उपायुक्त–सह–अध्यक्ष
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति,
लोहरदगा।

ज्ञापांक 80(DLO) / लोहरदगा दिनांक 4/8/18

प्रतिलिपि : सभी नामित सदस्यों/सभी चिकित्सा पदाधिकारी प्रखंड स्वास्थ्य केन्द्र, जिला लोहरदगा /जिला यिक्षापदाधिकारी लोहरदगा/उपाधीक्षक सदर अस्पताल, लोहरदगा/जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, लोहरदगा/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, लोहरदगा जिला अर्न्तगत/सभी प्रखंड यिक्षाप्रसार पदाधिकारी, लोहरदगा/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, लोहरदगा/ सभी कार्यालय प्रधान, लोहरदगा जिला अर्न्तगत/श्रम अधीक्षक, लोहरदगा/पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय), लोहरदगा/जिला नोडल पदाधिकारी, तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, लोहरदगा,/सभी अनुमंडल पदाधिकारी, लोहरदगा/ असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, लोहरदगा/उप–विकास आयुक्त, लोहरदगा/ पुलिस अधीक्षक, लोहरदगा को सूचनार्थ प्रेषित।

उपायुक्त–सह–अध्यक्ष
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति,
लोहरदगा।

ज्ञापांक 80(DLO) / लोहरदगा दिनांक 4/8/18

प्रतिलिपि : श्री दीपक मिश्रा, कार्यपालक निदेशकसोसियो इकानोमिक एण्ड एजुकेश्नल डेवलपमेंट सोसायटी (सीड्स) एवं श्री आशीष पांण्डे, तकनीकी सलाहकार दी युनियन नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि : राज्य नोडल पदाधिकारी, एन0सी0डी0 सेल, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अभियान निदेशकराज्य स्वास्थ्य मिशन समिति, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, स्वा0चि0 एवं शि0 प0क0 विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

उपायुक्त–सह–अध्यक्ष
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति,
लोहरदगा।